IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-40/2015

RAGHUNATH MAHTO & OTHERS.....PLAINTIFFS

Vs.

JAWAHAR MAHTO & OTHERS.....DEFENDANTS

ORDER

06.12.21 वाद पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से वादी सं0– 23 के आवेदन दिनांक–04.10.21 का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। वादी के क्रमशः दो आवेदन दिनांक–04.10.21 पर उभय पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी वादी सं0–23 का कथन है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–1 रघुनाथ महतो का देहांत दिनांक–27.04.21 को हो गया है, जिनके वारिसान पूर्व से इस वाद में वादी सं0–12 ता 14 हैं। अतः मृत वादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी की ओर से आज दाखिल अपने प्रत्युत्तर में उक्त आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया है कि मृत वादी सं0–1 रघुनाथ महतो की तीन पुत्रियॉ प्रेमशीला देवी, मंजू देवी एवं सूतम देवी है जिसे वादी द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं विलंब माफी हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट दाखिल किया गया है साथ ही वाद उपसमन को नजर अंदाज करते हुए आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। अतः कोविड महामारी के करण विलंब मरफ करते हुए प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। कार्यालय तदनुसार मृत वादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपित करे। वादीगण मृत वादी सं0–1 के पुत्रियों का नाम वादपत्र में जोड़े जाने हेतु समुचित पहल करें।

दूसरे आवेदन में वादी सं0–23 का कथन है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–4 वासुकीनाथ महतो नाबल्द थे, जिनका देहांत दिनांक– 26.05.21 को हो चुका है। अतः वादी सं0–4 का नाम वादपत्र से विलोपित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं विलंब माफी हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट दाखिल किया है साथ ही वाद उपसमन को नजर अंदाज करते हुए आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई। अतः कोविड महामारी के कारण विलंब माफ करते हुए प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। कार्यालय तदनुसार वादी सं0–4 का नाम वादपत्र से विलोपित करे।

दिनांक– 14.02.2022 वास्ते करने समुचित पहल वादी की ओर से।

06/12/2021

अवर न्यायाधीश